


कठिनाई तबलील कराने आये और उन
 में एक बच्चा एवं बेटियाँ हैं बाकी के विषय
 की प्रतीति का बयाना अपने माप कर लिखा
 इस प्रकार यह मापला मुल्यरूप बयाना
 निराल करने कायम पाया जाता है तथा
 बयाना निराल करने का प्रमाणिक कर
 इस बयाना में कही हैका सिविल -
 बयाना में है। अतः उक्त इस बयाना
 में बलने योग्य नहीं होने के कारण -
 खरीज होने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि - दावा कोई
 खरीज किया जाता है। इसी उकार पर्या
 देती जाती है।

निर्णय आता दिनांक 01-2-2014
 को लिखा जा रहा है। प्रामाणिक में
 सुधार गमा। पत्रावली के लल सुधार
 के लल साविल पक्कर है।


 (हेमराज पंडितवाल)
 उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर (भरतपुर) राज०

